

महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 107

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	16953.07	82.65	17035.72	20350.00	90.00	20440.00	18200.00	85.65	18285.65	21100.00	93.88	21193.88	
पूँजी	
जोड़	16953.07	82.65	17035.72	20350.00	90.00	20440.00	18200.00	85.65	18285.65	21100.00	93.88	21193.88	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.67	21.42	22.09	2.00	25.84	27.84	1.00	23.38	24.38	2.00	26.61	28.61
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
बाल कल्याण													
2. समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)													
2.01 आईसीडीएस	2235	25.20	...	25.20	42.00	...	42.00	16.79	...	16.79	87.00	...	87.00
	3601	15509.61	...	15509.61	15709.20	...	15709.20	14486.39	...	14486.39
	3602	168.83	...	168.83	161.00	...	161.00	144.61	...	144.61
	जोड़	15703.64	...	15703.64	15912.20	...	15912.20	14647.79	...	14647.79	87.00	...	87.00
2.02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रणालियों की सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना	2235	1.48	...	1.48	12.50	...	12.50	9.99	...	9.99	29.00	...	29.00
	3601	6.43	...	6.43	133.49	...	133.49	110.00	...	110.00
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	7.91	...	7.91	146.00	...	146.00	120.00	...	120.00	29.00	...	29.00
2.03 राष्ट्रीय पोषण मिशन	2235	97.00	...	97.00
	3601
	3602
	जोड़	97.00	...	97.00
जोड़- समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)	15711.55	...	15711.55	16058.20	...	16058.20	14767.79	...	14767.79	213.00	...	213.00	
3. यूनिसेफ को अंशदान	2235	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80
4. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	2235	9.40	17.10	26.50	11.70	17.75	29.45	10.53	17.45	27.98	13.50	19.00	32.50
5. कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	106.00	...	106.00	99.00	...	99.00	89.10	...	89.10	112.50	...	112.50
6. कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों	2235	8.57	...	8.57	9.00	...	9.00	7.20	...	7.20	9.00	...	9.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम													
7. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	2235	5.57	1.37	6.94	8.10	1.90	10.00	5.85	1.84	7.69	9.00	1.97	10.97
8. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	31.96	...	31.96	44.19	...	44.19	34.43	...	34.43	62.77	...	62.77
	3601	214.06	...	214.06	210.36	...	210.36	201.06	...	201.06
	3602	12.44	...	12.44	15.45	...	15.45	4.51	...	4.51
	जोड़	258.46	...	258.46	270.00	...	270.00	240.00	...	240.00	62.77	...	62.77
9. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी)	2235	11.61	...	11.61	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
10. सबला और सक्षम													
10.01 किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)	2235	10.35	...	10.35
10.02 किशोरी के सर्वांगीण विकास हेतु स्कीम-सक्षम	2235	1.32	...	1.32
जोड़- सबला और सक्षम		11.67	...	11.67
11. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)	2235	1.31	...	1.31	3.91	...	3.91	0.58	...	0.58
	3601	496.15	...	496.15	571.39	...	571.39	539.55	...	539.55
	3602	6.17	...	6.17	9.70	...	9.70	8.20	...	8.20
	जोड़	503.63	...	503.63	585.00	...	585.00	548.33	...	548.33
12. बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना	2235	13.50	...	13.50	13.50	...	13.50
13. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2235	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	16.00	...	16.00	3.50	...	3.50
	3602	1.00	...	1.00
	जोड़	18.00	...	18.00	4.50	...	4.50
14. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान	2235	90.00	...	90.00
15. अन्य योजनाएं	2235	40.09	0.55	40.64	61.20	0.63	61.83	58.50	0.63	59.13	63.00	0.63	63.63
जोड़-बाल कल्याण		16654.88	22.82	16677.70	17143.70	24.08	17167.78	15736.80	23.72	15760.52	602.94	25.40	628.34
महिला कल्याण													
16. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	3.50	...	3.50	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	2.70	...	2.70
17. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	2235	7.28	...	7.28	17.98	...	17.98	13.48	...	13.48	22.50	...	22.50
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	7.28	...	7.28	18.00	...	18.00	13.50	...	13.50	22.50	...	22.50
18. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	8.83	...	8.83	18.00	...	18.00	9.00	...	9.00	18.00	...	18.00
19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	34.94	21.60	56.54	43.20	22.03	65.23	43.20	21.95	65.15	42.30	23.91	66.21

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
20. अल्पावास गृह	2235	
21. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	5.49	...	5.49	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	6.30	...	6.30
22. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	12.27	4.57	16.84	13.50	4.95	18.45	12.15	4.85	17.00	13.50	4.95	18.45
23. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00
24. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना (उज्ज्वला)	2235	7.37	...	7.37	11.70	...	11.70	11.70	...	11.70	14.40	...	14.40
25. प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	11.61	...	11.61	15.00	...	15.00	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
26. महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	0.64	...	0.64	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90
27. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन													
27.01 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-सीएमबी स्कीम	2235	0.22	...	0.22	4.55	...	4.55	0.65	...	0.65	3.60	...	3.60
	3601	81.77	...	81.77	439.10	...	439.10	265.16	...	265.16
	3602	0.08	...	0.08	6.35	...	6.35	4.19	...	4.19
	जोड़	82.07	...	82.07	450.00	...	450.00	270.00	...	270.00	3.60	...	3.60
27.02 महिलाओं के संरक्षण और विकास की व्यापक योजना													
27.02.01 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2235	6.85	...	6.85	38.20	...	38.20	22.15	...	22.15	50.00	...	50.00
	3601	3.19	...	3.19	10.65	...	10.65	5.10	...	5.10
	3602	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65
	जोड़	10.04	...	10.04	49.50	...	49.50	27.90	...	27.90	50.00	...	50.00
27.02.02 साहस (स्वाधार गृह)	2235	52.23	...	52.23	67.48	...	67.48	49.48	...	49.48	75.00	...	75.00
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	52.23	...	52.23	67.50	...	67.50	49.50	...	49.50	75.00	...	75.00
	जोड़	52.23	...	52.23	67.50	...	67.50	49.50	...	49.50	75.00	...	75.00
27.02.03 साहस (अन्य कार्यक्रम-बलात्कार पीड़ितों हेतु न्याय)	2235	...	0.34	0.34	5.00	0.10	5.10	...	0.05	0.05	0.90	0.01	0.91
	3601	67.50	...	67.50
	3602	4.00	...	4.00
	जोड़	...	0.34	0.34	76.50	0.10	76.60	...	0.05	0.05	0.90	0.01	0.91
	जोड़	...	0.34	0.34	76.50	0.10	76.60	...	0.05	0.05	0.90	0.01	0.91
27.02.04 साहस (महिलाओं की घरेलू हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को सहायता)	2235	4.00	...	4.00	1.50	...	1.50

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3601	59.50	...	59.50	
3602	4.00	...	4.00	
जोड़	67.50	...	67.50	1.50	...	1.50	
जोड़	67.50	...	67.50	1.50	...	1.50	
27.02.05 साहस (महिला हेल्पलाइन)	2235	18.00	...	18.00	0.30	...	0.30	
27.02.06 साहस (एक स्थान पर संकट समाधान केंद्र)	2235	1.20	...	1.20	
3601	8.70	...	8.70	
3602	0.30	...	0.30	
जोड़	9.00	...	9.00	1.20	...	1.20	
जोड़- महिलाओं के संरक्षण और विकास की व्यापक योजना	62.27	0.34	62.61	288.00	0.10	288.10	77.40	0.05	77.45	128.90	0.01	128.91	
जोड़- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	144.34	0.34	144.68	738.00	0.10	738.10	347.40	0.05	347.45	132.50	0.01	132.51	
28. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	2235	0.35	...	0.35	5.00	...	5.00	2.30	...	2.30	5.00	...	5.00
29. अकेले रहने वाली महिलाओं /निस्सहाय और विधवाओं के लिए आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सहायता	2235	18.00	...	18.00	
30. राष्ट्रीय महिला मामले संस्थान	2235	4.50	...	4.50	
जोड़-महिला कल्याण	236.62	26.51	263.13	887.60	27.08	914.68	455.45	26.85	482.30	309.10	28.87	337.97	
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पोषाहार	16891.50	49.33	16940.83	18031.30	51.16	18082.46	16192.25	50.57	16242.82	912.04	54.27	966.31	
31. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	55.69	...	55.69	105.00	...	105.00	105.00	...	105.00	
3601	164.00	...	164.00	74.00	...	74.00	
3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	
जोड़	55.69	...	55.69	270.00	...	270.00	180.00	...	180.00	
32. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	6.28	11.92	18.20	11.70	13.00	24.70	6.75	11.70	18.45	20.70	13.00	33.70
जोड़-पोषाहार	61.97	11.92	73.89	281.70	13.00	294.70	186.75	11.70	198.45	20.70	13.00	33.70	
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान	2552	1907.30	...	1907.30	1743.90	...	1743.90	34.50	...	34.50
33.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	96.40	...	96.40	55.35	...	55.35	17.40	...	17.40
33.02 समाज कल्याण-महिला कल्याण हेतु प्रावधान	2552	31.30	...	31.30	20.75	...	20.75	2.30	...	2.30
33.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	2035.00	...	2035.00	1820.00	...	1820.00	54.20	...	54.20
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ	

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<i>परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान</i>													
राज्य और संघ राज्य योजना													
34. समेकित बाल विकास सेवाएं	2552	1841.80	...	1841.80
	3601	16016.20	...	16016.20
	3602	250.00	...	250.00
	जोड़	18108.00	...	18108.00
35. राष्ट्रीय पोषण मिशन	2552	30.00	...	30.00
	3601	172.40	...	172.40
	3602	0.60	...	0.60
	जोड़	203.00	...	203.00
36. विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रणालियों की सुदृढीकरण और पोषण सुधार परियोजना	2552
	3601	167.00	...	167.00
	3602
	जोड़	167.00	...	167.00
37. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)-सबला	2552	70.00	...	70.00
	3601	609.15	...	609.15
	3602	10.50	...	10.50
	जोड़	689.65	...	689.65
38. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2552	2.50	...	2.50
	3601	20.00	...	20.00
	3602	1.18	...	1.18
	जोड़	23.68	...	23.68
39. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2552	40.00	...	40.00
	3601	278.23	...	278.23
	3602	19.00	...	19.00
	जोड़	337.23	...	337.23
40. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(आईजीएमएसवाई)	2552	40.00	...	40.00
	3601	351.32	...	351.32
	3602	5.08	...	5.08
	जोड़	396.40	...	396.40
41. महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम													
41.01 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2552	9.00	...	9.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
3601	30.00	...	30.00
3602	1.00	...	1.00
जोड़	40.00	...	40.00
41.02 साहस (स्वाधार गृह)	2552	11.50	...	11.50
3601	27.00	...	27.00
3602	1.50	...	1.50
जोड़	40.00	...	40.00
41.03 साहस (बलात्कार पीड़िताओं हेतु पुनरुद्धारक न्याय)	2552	3.00	...	3.00
3601	25.00	...	25.00
3602	1.10	...	1.10
जोड़	29.10	...	29.10
41.04 साहस (घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता)	2552	5.00	...	5.00
3601	42.00	...	42.00
3602	1.50	...	1.50
जोड़	48.50	...	48.50
41.05 साहस (महिला हेल्पलाइन)	2552	1.00	...	1.00
3601	8.00	...	8.00
3602	0.70	...	0.70
जोड़	9.70	...	9.70
41.06 साहस (एक स्थान पर संकट समाधान केंद्र)	2552	2.00	...	2.00
3601	16.00	...	16.00
3602	0.80	...	0.80
जोड़	18.80	...	18.80
जोड़- महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम	186.10	...	186.10
जोड़-राज्य और संघ राज्य योजना	20111.06	...	20111.06
42. वास्तविक वसूलियां	2235	-1.07	-0.02	-1.09
2236
2251
3601
जोड़	-1.07	-0.02	-1.09

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
कुल जोड़	16953.07	82.65	17035.72	20350.00	90.00	20440.00	18200.00	85.65	18285.65	21100.00	93.88	21193.88	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.67	...	0.67	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	16890.43	...	16890.43	18031.30	...	18031.30	16192.25	...	16192.25	912.04	...	912.04
3. पोषण	22236	61.97	...	61.97	281.70	...	281.70	186.75	...	186.75	20.70	...	20.70
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2035.00	...	2035.00	1820.00	...	1820.00	54.20	...	54.20
जोड़ - केन्द्रीय योजना	16953.07	...	16953.07	20350.00	...	20350.00	18200.00	...	18200.00	988.94	...	988.94	
राज्य योजना:													
1. बाल विकास	43601	19247.28	...	19247.28
2. महिला विकास	43601	570.82	...	570.82
जोड़ - राज्य योजना	19818.10	...	19818.10
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. बाल विकास	43602	262.28	...	262.28
2. महिला विकास	43602	30.68	...	30.68
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना	292.96	...	292.96
जोड़	16953.07	...	16953.07	20350.00	...	20350.00	18200.00	...	18200.00	21100.00	...	21100.00	

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर खर्च हेतु है। इसमें मंत्रालय में ई-शासन कार्यकलापों के सुदृढीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता पर व्यय भी शामिल है।

2.01 & 34. **समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.):** इसके अंतर्गत प्रावधान छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान करने के लिए है। इस पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने 7076 परियोजनाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं, जिनमें मांग पर 20 हजार आंगनवाड़ियां शामिल हैं।

2.02 & 36. **विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रणाली सुदृढीकरण एवं पोषण सुधार**

परियोजना: इसके अंतर्गत ऐसे चुनिंदा जिलों में, जहां बाल कुपोषण का स्तर बहुत ऊंचा है, आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से प्रणाली को सुदृढ बनाने और सेवा प्रदायगी में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यकलाप आई.सी.डी.एस.(सामान्य) के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के अतिरिक्त होंगे। 2013-14 में परियोजना हेतु 196.00 करोड़ रुपये के प्रावधान में 137.20 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक भी शामिल है।

2.03 & 35. **राष्ट्रीय पोषण मिशन:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना वर्ष

2003 में की गई। इसके बाद 2008 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। समिति में ये निर्णय लिए गए थे (i) आईसीडीएस योजना का सुदृढीकरण और पुनर्संरचना, (ii) सबसे अधिक समस्याग्रस्त

चुनिंदा 200 जिलों में मातृत्व तथा बालकों के कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत, (iii) कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत

और (iv) संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा स्कीमों में पोषण पर संकेद्रण करना। यह योजना आई.सी.डी.एस. में शामिल कर दी गई है।

3. **यूनीसेफ को अंशदान:** यह प्रावधान यूनीसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और प्रोत्साहित करना है। यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा गुवाहाटी, बेंगलूर, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यह संस्थान आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं तथा आईसीपीएस तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण अभिकरण के रूप में उभर कर आया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में मोहाली और बिहार में पटना में इस संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

5. **कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम:** स्कीम का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 12,000/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जाने वाले शिशु गृह बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। 2014-15 के दौरान 125 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

6. **देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना तथा कामकाजी बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण के अलावा स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी है। स्कीम का हाल ही में मूल्यांकन किया गया है तथा इसका समेकित बाल संरक्षण स्कीम के मुक्त आश्रय घटक में विलय करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1.00 करोड़ रुपये शामिल है।

7. **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण:** केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण - (सीएआरए) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। कारा देश के विभिन्न भागों में पक्षकारों हेतु प्रोत्साहक एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करते बालकों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देश, 2011 का क्रियान्वयन कर रहा है।

8 & 39. **समेकित बाल संरक्षण स्कीम:** मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित इस स्कीम का प्रारंभ देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा असुरक्षित वर्गों के अन्य बच्चों के व्यापक विकास हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए किया है। यह स्कीम वर्ष 2009-10 से मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय लागत में भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। अब तक 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम घटकों में आश्रय गृह, बाल गृह, प्रेक्षण गृह विशेष गृह जैसी संस्थागत सेवाएं; केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं; प्रायोजन, देखभाल, दत्तक ग्रहण, देखभाल उपरांत कार्यक्रम के माध्यम से परिवार आधारित संस्थागत देखभाल; चाइल्डलाइन तथा बालक खोज प्रणाली के माध्यम से आपात सेवाएं शामिल हैं। अब तक देश में 609 बाल कल्याण समितियों और 607 किशोर कारा बोर्डों की स्थापना की जा चुकी है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम में मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, अर्थात् (1) किशोर न्याय कार्यक्रम, (2) बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम और (3) एक ही केन्द्र से देश के भीतर दत्तक ग्रहण प्रोत्साहित करने और नए उपाय करने हेतु गृहों (शिशु गृहों) को सहायता स्कीम। वर्ष 2014-15 के दौरान 400 करोड़ रूपए की बजटीय व्यवस्था की गई है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपये शामिल हैं।

9. **बालिकाओं के लिए बीमा सहित सशर्त नकदी अंतरण स्कीम (धनलक्ष्मी):** यह स्कीम 2008 में शुरू की गई थी - यह स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो कार्यान्वयन सात राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 11 ब्लॉकों में प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम बालिकाओं के साथ उनके जीवन में किए जाने वाले भेदभाव, शिशु हत्या, शिक्षा सुविधाओं, स्वास्थ्य के निवारण हेतु चलाई जा रही है। नकदी अंतरण बालिकाओं के परिवार (जहां तक संभव होगा माताओं को) को कुछ शर्तों के अधीन अर्थात् बालिका के जन्म का पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूल में नामांकन तथा पढ़ाई जारी रखने की शर्तों को पूरा करने पर किया जाएगा। इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, 2014-15 में पिछले प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों के लिए 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

10.01 & 37. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम:** इस स्कीम को वर्ष 2010 में शुरू किया गया, इसका क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश भर के 200 जिलों में किया जा रहा है। यह स्कीम 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसे सबला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कीम समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मंच का उपयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के पोषण और गैर पोषण दो मुख्य घटक हैं। 11-14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तथा 14-18 वर्ष की सभी बालिकाओं (स्कूल जाने वाली और स्कूल छोड़ चुकी) हेतु घर ले जाने वाले राशन के रूप में पोषाहार दिया जाता है। गैर पोषण घटक में 11-18 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को आई.एफ.ए. अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण, बच्चों और घर की देखरेख के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन, किशोर जनन लिंग स्वास्थ्य (एआरएसएच) देखभाल परिपाठिया जीवन कौशल शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण वर्ष 2014-15 के लिए सबल हेतु 700 करोड़ रूपए की राशि जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 70 करोड़ शामिल है का आवंटन किया गया है।

10.02 & 38. **सक्षम:** सक्षम(आत्म-निर्भर व्यक्ति) किशोर लड़कों के समग्र विकास हेतु एक नई प्रस्तावित स्कीम है। प्रस्तावित सक्षम स्कीम का उद्देश्य किशोरों को, जब वे बड़े हों, आत्म-निर्भर, जेंडर संवेदी एवं जागरूक नागरिक बनाने के लिए उनका समग्र विकास करना है। यह स्कीम मुख्य रूप से देश के चयनित जिलों में स्कूल छोड़ चुके सभी किशोरों पर केंद्रित होगी। वर्ष 2014-15 के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

12. **बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना:** बालिकाओं की जरूरतों के अनुसार यह एक समेकित प्रयास है। लगभग 100 गैर सबला स्कीम वाले जिलों में प्रायोगिक तौर पर बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना को शुरू करके निम्न बालक बालिका अनुपात और उच्च बाल विवाह वाले जिलों/ब्लॉकों को ध्यान में रखकर इस प्रयास में शामिल हुआ जा सकता है। सिविल सोसायटी संगठनों तथा स्थानीय प्रशासनिक तंत्र के बीच भागीदारी के माध्यम से बड़े हुए बालक बालिका अनुपात तथा विवाह की उम्र के दर्दनाक परिणामों के साथ बालिकाओं के अधिकारों में वृद्धि के मद्दे नजर कार्रवाई योजना का विकास किया जा सकता है।

14. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान:** यह बालिकाओं के कल्याण हेतु शुरू की गई एक नई स्कीम है।

15. **अन्य स्कीमें (बाल कल्याण):** इनमें राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, बाल दिवस, अनुसंधान प्रकाशन, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, जो नवाचार परियोजना स्कीम भी कहलाती है, सूचना और जन-प्रचार माध्यमों तथा प्रकाशन हेतु किए जाने वाले प्रावधान शामिल हैं।

16. **महिला शिक्षा हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम:** इस स्कीम का क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य उन महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना है, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने में असमर्थ होती हैं।

17. **कामकाजी महिला होस्टल:** इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरान्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

18. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप):** इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे परम्परागत क्षेत्रों अथवा स्थानीय रूप से व्यवहार्य किसी अन्य क्षेत्र में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करना है। स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों के आरंभ से स्कीम का क्षेत्र और विस्तार बढ़ाया गया है।

19. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। कई वर्षों से, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस समय चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरूकता विकास कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम,

परिवार परामर्श केन्द्र तथा अल्पावास गृह शामिल हैं। इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है।

21. **जागरूकता विकास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं/समस्याओं का पता लगाने तथा उनके सम्मुख आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए उनमें संगठित होकर कार्य करने की भावना पैदा करना है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

22. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। इसे महिलाओं का संरक्षण करने के लिए संविधान तथा कानूनों के तहत, मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त है। यह शिकायतों की जांच करता और है महिला अधिकारों से वंचित करने संबंधी मामलों का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

23. **राष्ट्रीय महिला कोष:** राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना वर्ष 1993 में 31 करोड़ रुपये की प्रारंभिक कोरपस निधि से की गयी, जिसे वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बिना किसी ऋणाधार के अर्द्ध-औपचारिक सेवा तंत्र के माध्यम से निर्धन एवं वंचित महिलाओं को लघु ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें गैर-सरकारी संगठन, महिला सहकारिताएं और संघ आदि मध्यवर्ती संगठनों के रूप में कार्य करते हैं।

24. **देह-व्यापार को रोकने की व्यापक स्कीम (उज्वला):** यह स्कीम, 2007 में शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य अवैध देह व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं के बचाव, पुनर्वास व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार पीड़ितों को मुख्य धारा से पुनः जोड़ने और उनकी स्वदेश वापसी हेतु सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है।

25. **प्रियदर्शिनी स्कीम:** यह स्कीम जिसे दिसम्बर 2007 में शुरू किया गया था, का लक्ष्य है देह व्यापार को रोकना और बचाव, पुनर्वास, सशक्तीकरण और देह व्यापार में फंसी पीड़ित महिलाओं को वापस समाज में लौटाना है। यह स्कीम मुख्यतः एनजीओ के जारिए चलाई जाती है।

26. **महिलोन्मुख बजट आयोजना एवं लैंगिक आंकड़े:** इस स्कीम में कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों, राज्य सरकारों के विभागों तथा राज्य महिला आयोगों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं आदि को महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा, कार्यनीतियों एवं उपायों की जानकारी देने तथा विभिन्न पक्षों द्वारा महिलोन्मुख बजट आयोजना के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण नियमावल्यां तैयार करने का प्रावधान भी है। इस स्कीम में मंत्रालय में महिलोन्मुख बजट आयोजना ब्यूरो गठित करने का प्रावधान है।

27.01 & 40. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** वर्ष 2010-11 में शुरू की गई यह नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भधारण के 6 महीने के अंत से लेकर प्रसव के बाद 6 महीने तक सीधे नकद राशि प्रदान करने की पारिकल्पना की गई है। माता तथा बालक के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तीन किस्तों में 4000 रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम का

अल्पकालिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और दीर्घकालिक उद्देश्य उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। शुरुआत में यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर देश के 52 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का प्रयास बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हुई मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है। इस स्कीम में वर्ष 2014-15 के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

27.02.01 & 41.01. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन: यह राष्ट्रीय मिशन डा0 ए.आर. किदवई की अध्यक्षता में गठित राज्यपालों की समिति की सिफारिशों का परिणाम है। यह राष्ट्रीय मिशन अंतरमंत्रालयी संकेन्द्रण तंत्र होगा, जो महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं की महिला सशक्तीकरण संबंधी स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा और विभिन्न पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।

27.02.02 & 41.02. स्वाधार गृह: कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को महसूस करते हुए, स्वाधार स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई। स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार की पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है। स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्कीम में विपदाग्रस्त महिलाओं के लिए हेल्ललाइन स्थापित करने का भी प्रावधान है। स्वाधार गृह एवं अल्पावास गृह को इकट्ठा करके एक नई योजना स्वाधार गृह के अंतर्गत लाया गया है जो कि साहस योजना का एक उप घटक है।

27.02.03 & 41.03. बलात्कार पीड़ितों को पुनरुद्धारक न्याय: यह स्कीम बलात्कार पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के साथ-साथ चिकित्सा, आश्रय, परामर्श आदि जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से पुनरुद्धारक न्याय देने के लिए है।

27.02.04 & 41.04. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों से संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करना, सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत करना और चिकित्सा सेवाओं को अधिसूचित करना अपेक्षित है।

27.02.05 & 41.05. महिला हेल्ललाईन: इस बात को मानते हुए कि विपत्ति एवं कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को शीघ्र पहुंच की आवश्यकता होती है तथा उन्हें ऐसी समर्थन सेवाओं की उपलब्धता के बारे सूचना की जानकारी नहीं होती है अथवा वे इनका सहारा नहीं ले पाती है, सर्वसुलभ महिला हेल्ललाईन के सृजन के लिए कार्य करने का प्रस्ताव है।

12वीं योजना में 24 घंटे कार्य करने वाली महिला हेल्ललाईन, अधिमानतः अखिल भारत स्तर पर एक टोल फ्री नम्बर के साथ तथा सामाजिक-कानूनी सहायता प्रणाली युक्त कारगर कार्यालय के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पर घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं महिलाओं के विरुद्ध अन्य अत्याचारों के पीड़ितों को केवल एक फोन पर सहायता उपलब्ध होगी।

27.02.06 & 41.06. संकट निवारण एकल केंद्र: हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए महिलाओं को अपनी बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहायता की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय महिलाओं हेतु 'संकट निवारण एकल केंद्र' को प्रायोगिक आधार पर विकसित करने की संभावना की जांच करेगा जो समेकित सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा जहां हिंसा की पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, पुलिस मामला दर्ज करने में सहायता, परामर्श एवं भावनात्मक समर्थन पीड़िता एवं उसके बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय तथा ठहरने की अवधि हेतु बुनियादी आवश्यकताओं जैसी विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पर पूरा किया जाएगा। बलात्कार एवं यौन प्रहार के पीड़ित भी इन केंद्रों से लाभ ले पाएंगे, जहां पर उन्हें चोट एवं आघात से निपटने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी और प्रेरक एवं संवेदनपूर्ण वातावरण में उनका बयान लिया जा सकेगा। इन केंद्रों की स्थापना 2.5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किए जाने का प्रस्ताव है।

28. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति: भारत सरकार ने महिलाओं की वर्ष 1989 से अभी तक की स्थिति को जानने के साथ-साथ महिलाओं की जरूरतों के समकालीन मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय विकसित करने के लिए महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट में महिलाओं पर प्रभाव के मामले में इन पहलुओं के अंतर-संबंध का उल्लेख होगा और महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण हेतु उपायों की सिफारिश भी की जाएगी।

29. एकल/निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं हेतु आश्रय गृहों के निर्माण हेतु सहायता: माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2013-14 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक ऐसी स्कीम निरूपित करने के लिए कहा गया है जो एकल महिलाओं एवं विधवाओं सहित सर्वाधिक उपेक्षित समूहों की महिलाओं के सरोकारों को पूरा करे। उपरोक्त के आलोक में, विपदाग्रस्त अथवा जरूरतमंद महिलाओं को तात्कालिक सहायता से लेकर दीर्घकालीन पुनर्वास तक की सहायता प्रदान करने वाले सहायता केंद्र के रूप में समेकित आश्रय गृहों के निर्माण की स्कीम निरूपित की गई है। यह स्कीम शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में प्रस्तावित है।